B. Com II (H/A)
Business Law
Dr. Sunil Kumar
Deptt. of Com.

प्रस्ताव (Proposal)

जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो तो यह कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे के सामने "प्रस्ताव" रखा है।

धारा 2(a)

वचन (Promise)

जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देता है तब वह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह "वचन" कहलाता है।

धारा 2(b)

वचनदाता और वचनग्रहिता (Promisor and Promisee)

प्रस्ताव रखनेवाले व्यक्ति को प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं और प्रस्ताव स्वीकार करनेवाले को वचनग्रहिता कहा जाता है।

धारा 2(c)

प्रतिफल (Consideration)

जब वचनदाता की इच्छा पर वचनदाता या अन्य किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है या करने से अपने को विरत रखा है या करने अथवा करने से विरत रहने का वचन देता है तो यही प्रतिफल कहलाता है

धारा 2(d)

ठहराव (Agreement)

प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो "ठहराव" कहलाता है।

धारा 2(

Scanned with CamScanner

पारस्परिक वचन (Reciprocal promises)

ऐसे वचन जो एक
के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल बनते हैं "पारस्परिक वचन" कहलाता है।

धारा 2(f)

व्यर्थ ठहराव (Void agreement)

कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता व्यर्थ ठहराव कहलाता है।

धारा 2(g)

अनुबन्ध (contract)

कोई ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबन्ध कहलाता है।

धारा 2(h)

व्यर्थनीय अनुबन्ध (Voidable agreement)

कोई अनुबन्ध जो केवल एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो परन्तु दूसरे एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो व्यर्थनीय अनुबन्ध कहलाता है। धारा 2(i)

व्यर्थ अनुबन्ध (Void agreement)

जब किसी अनुबन्ध का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाता है तब राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना समाप्त होने के बाद वह व्यर्थ हो जाता है। इसे ही व्यर्थ अनुबन्ध कहा जाता है।

Sunil Kumar
5/5/2020